

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2851(अ)—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का.आ. 95(अ) में प्रोजेक्ट के शीर्षक के संबंध में पैरा 1 तथा 6 में “6 राज्यों में 2890 जनजातीय क्षेत्रों में 2890 एक अध्यापकीय स्कूल (ओटीएस) चलाने हेतु साक्षरता परियोजना” को “15 राज्यों में 21050 जनजातीय क्षेत्रों में 21050 एक अध्यापकीय स्कूल (ओटीएस) चलाने हेतु साक्षरता परियोजना” पढ़ा जाए।

[सं. 217/2015 /फा. सं. 27015/2/2015-एसओ (रा. स.)]

मक्खन लाल मीणा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th October, 2015

S.O. 2851(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 95(E), dated 6th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), relating to title of the project in para 1 and 6, i.e ‘Literacy project of running 2890 One Teacher Schools (OTS) at 2890 tribal areas in 6 States’, may be read as “Literacy project of running 21050 One Teacher Schools (OTS) at 21050 tribal areas in 15 States”.

[No. 217/2015/F. No. 27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)